कार्यालय कार्य अधीक्षक

अ०वि०नि०ख० (रा०मा०), लो०नि०वि०
गोरखपुर

पत्रांक :- 394/1नि
दिनांक :- 21/2/2017

सेवा में,

नियत प्राधिकारी
विनियमित क्षेत्र, पडरौना,
जनपद– कुशीनगर।

विषय– मानचित्र पंजिका क्रमांक– 276/16 पर आपत्ति/अनापत्ति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ– आपका कार्यालय पत्र सं०– 336/वि०क्षे०प० दिनांक 18.01.2017।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के साथ संलग्न भवन मानचित्र के सम्बन्ध में निम्नलिखित शर्तों के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाता है–

1– प्रस्तावित भवन मानचित्र रा०मा० सं०– 28बी० (नु सं०–727) कुशीनगर– कसया–पडरौना–नेबुआ नौरंगिया–पनियहवा–बगहा मार्ग के कि०मी० 20, मी०–500 में दायें तरफ मौजा– पडरौना, परगना– सि०जो०, तहसील पडरौना, जिला– कुशीनगर के आराजी नं०– 1493/1 मि०कु०, 1494 मि०, 1495, 1496 मि०कु० पर प्रस्तावित है।

2– प्रस्तावित निर्माण में स्थाई भूमि आवेदक द्वारा उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के अनुसार कुल 92 फीट है तथा मौके पर जो एक तरफ मार्ग के मध्य से 46 फीट है तथा निर्माण मार्ग के मध्य से 80 फीट पर प्रस्तावित है। अतः मार्ग के मध्य से 80 फीट के बाद निर्माण किया जा सकता है।

3– प्रस्तावित निर्माण सड़क के स्थाई भूमि के बाहर है।

4– प्रस्तावित निर्माण करते समय निर्माण सामग्री एकत्रीकरण सड़क की भूमि पर नहीं किया जाना चाहिए।

5– प्रस्तावित भवन से सम्बन्धित नाली को सड़क के स्थाई भूमि से बाहर भवन स्वामी को स्वयं के खर्च पर करना होगा।

6– प्रस्तावित भवन मानचित्र से सम्बन्धित राजस्व अभिलेखों में किसी भी प्रकार की त्रुटि एवं परिवर्तन होने की दशा में राष्ट्रीय मार्ग, लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर उत्तरदायी नहीं होगा।

7– भवन मानचित्र में दर्शाये गये निर्माण से भिन्न होने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त/निष्प्रभावी माना जाएगा।

8– भूमि विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय मार्ग, लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर उत्तरदायी नहीं होगा।

9– कार्य स्थल पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति/अनुमति मिलने के बाद निर्माण कार्य करना होगा।

9– यदि प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में कोई भी वाद किसी सक्षम न्यायालय में लम्बित है तो अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

10– उ०प्र० रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट के निहित प्राविधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।

11– भविष्य में विभाग को मार्ग चौड़ीकरण हेतु जब भी आवश्यकता होगी आपको 21 दिन के अन्दर अपने व्यय पर उक्त भवन शिफ्ट करना होगा। किसी प्रकार का क्लेम मान्य नहीं होगा। इस आशय की अण्डरटेकिंग आप द्वारा देनी होगी।

अतः आप द्वारा मांगी गयी आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी सेवा में प्रेषित है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।
मानचित्र की [illegible] प्रति।
(प्रत्येक मानचित्र 10 अदद में)

कार्य अधीक्षक,
अ०वि०नि०ख० (रा०मा०)
लो०नि०वि०, गोरखपुर

पत्रांक :- /
दिनांक :- / /

प्रतिलिपि– स्थानिक अभियन्ता (द्वितीय), अ०वि०नि०ख० (रा०मा०) लो०नि०वि०, गोरखपुर को उनके पत्रांक– 1/1सी० दिनांक 10.02.2017 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

कार्य अधीक्षक
अ०वि०नि०ख०(रा०मा०)
लो०नि०वि०, गोरखपुर

Scanned by CamScanner